	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/2021	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/ ... उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. कैम्प पर Covid-19 दिनांक 11.2.2021 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
2/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/3/21 को पेश हो।	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित है पत्रावली वास्ते आदेश दि० 18/3/21 को पेश हो	
18/3/21	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित [illegible] से लिखा [illegible] [illegible] कार्यवाही [illegible] है	
	उपखण्ड अधिकारी जिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्साह चौधरी (IAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 12/2019 दायर तारीख 28.01.2019

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ____वादी

बनाम्

भंवरसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत निवासी केरखेड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ____प्रतिवादी

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18 /03/2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरखेड़ा पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 765/491 रकबा 4.02 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि बंजड़ प्रतिवादी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 765/491 रकबा 4.02 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि में अप्रार्थी द्वारा अवैध खनन किया गया। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखल करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। बार–बार आवाज लगायी गयी। न तो विपक्षीगण और न ही विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

विपक्षीगण वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से दिनांक 17.12.2019 को विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू–1 बलराम मीणा पटवारी हल्का रेसुन्दा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्व करवाये गये हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गयें।

पीडब्ल्यू–1 बलराम मीणा पटवारी हल्का रेसुन्दा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम केरखेड़ा के आराजी संख्या 765/491 रकबा 4.02 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि में अवैध खनन हो रखा हैं। जिसमें वर्तमान में पानी भरा हुआ हैं। ग्राम केरखेड़ा की जमाबन्दी में उक्त आराजी भंवरसिंह पिता मदनसिंह राजपूत सा.देह केरखेड़ा खातेदार दर्ज रेकॉर्ड हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि.-भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नये खाता संख्या 104 ग्राम केरखेड़ा सम्वत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की हैं एवं संयुक्त मौका पंचनामा दिनांक 25.04.2017 प्रस्तुत किया हैं जिसमें उक्त भूमि पर अवैध खनन भंवरसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी केरखेड़ा एवं जसवन्तसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी केरखेड़ा द्वारा किया जाना बताया हैं

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम केरखेड़ा पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 765/491 रकबा 4.02 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 18/03/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उत्साह चौधरी, IAS)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ